न्यायालय :– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम सह विशेष न्यायाधीश,

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण अधिनियम) मधेपुरा।

CD 9347
28.1.26

A.B.P. No-202/2026

Murliganj P.S. Case No.-27/2026

1. आशीष कुमार, उम्र करीब 22 वर्ष पिता– बबलु यादव
(साकिन –गम्हरिया, वार्ड संख्या–12, थाना–मुरलीगंज, जिला– मधेपुरा।)

......अभियुक्त।

बनाम्

बिहार सरकार ....विपक्षी।

10-06-2026 जमानत आवेदन अभियुक्त **आशीष कुमार** के द्वारा मुरलीगंज थाना कांड संख्या–27/2026 अन्तर्गत धाराऐं 25(1–बी)ए, 26, 35 आर्म्स एक्ट में पुलिस द्वारा गिरफ्तारी किये जाने की संभावना से बचने हेतु दंड प्रकिया संहिता की धारा 438 के अन्तर्गत दाखिल किया गया है। जमानत आवेदन की प्रति विद्वान लोक अभियोजक श्री पुरूषोतम प्रसाद यादव को दी जा चुकी है।

सूचक थानाध्यक्ष मुरलीगंज इमनाज खान के टंकित आवेदन के आधार पर अभियोजन का मामला संक्षेप में यह है कि दिनांक–दिनांक–16.12.2025 को थानाध्यक्ष महोदय द्वारा आवेदक बिपिन कुमार शर्मा, पे०–उमेश शर्मा, सा०–गम्हरिया, वार्ड नं0–12, थाना–मुरलीगंज, जिला–मधेपुरा द्वारा समर्पित टंकित आवेदन के आधार पर मुरलीगंज थाना कांड संख्या–25/26, दिनांक–16.01.16, धारा–126 (2)/115 (2)/110/3(5) बी०एन०एस० के अन्तर्गत 02 नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध दर्ज कर अनुसंधान भार मुझे सौपा गया। उक्त कांड के अनुसंधान में मैं थाना में प्रतिनियुक्त सशस्त्र बल के गृहरक्षक/351497 मो० मस्तान एवं गृहरक्षक/351407 नवीन कुमार के साथ पुलिस वाहन से कांड के घटनास्थल ग्राम गम्हरिया के लिए समय करीब 12:45 बजे प्रस्थान किया। उक्त कांड के घटनास्थल एका निरीक्षण के दौरान साक्षियों द्वारा पूछताछ के क्रम में बताया गया कि कांड के प्राथमिकी अभियुक्त बिक्रम कुमार, पे०–सिकेन्द्र यादव, आशीष कुमार, पे०–बब्लू यादव, दोनों सा०–गम्हरिया, वार्ड नं0–12, थाना–मुरलीगंज, जिला–मधेपुरा मनबद्ध किस्म का व्यक्ति है तथा अक्सर दोनों साथ रहकर देशी हथियार लेकर घुमते रहता है तथा अपने घर में देशी हथियार रखता है। साक्षियों से पूछताछ के उपरांत सशस्त्र ब्बल के सहयोग से कांड के साक्षियों के बतायेनुसार सूचना का सत्यापन हेतु समय करीब 14:00 बजे सशस्त्र बल के सहयोग से अभियुक्त बिक्रम कुमार, पे०–सिकेन्द्र यादव, सा०–गम्हरिया, वार्ड नं0–12, थाना–मुरलीगंज, जिला–मधेपुरा के घर का सशस्त्र बल के सहयोग से स्वतंत्र साक्षी 1. अशोक यादव, पे०–स्व० बेनी यादव, सा०–गम्हरिया, वार्ड नं0–12, 2. कन्हैया कुमार, पिता–शिवनन्दन ठाकुर, सा०–गम्हरिया, वार्ड नं0–13. दोनों थाना–मुरलीगंज, जिला–मधेपुरा के समक्ष अपना तथा साथ के सशस्त्र बलों का जमा तलाशी देते हुए विधिवत् छापामारी एवं तलाशी लिया गया तो अभियुक्त बिक्रम कुमार घर से फिरार पाया गया तथा उपरोक्त

न्यायालय :– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम सह विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण अधिनियम) मधेपुरा।

10-06-2026 लगातार..... दोनों स्वतंत्र गवाहों के समक्ष घर की तालशी लिया गया तो घर के अंदर दिवाल में कुन्डी के सहारे एक काला–नीला रंग का चेकदार झोला लटका हुआ पाया गया, उक्त झोला को उतारकर देखा गया तो उसमें एक देशी कट्टा, जिसका कुल बट, बॉडी एवं बैरल की कुल लम्बाई करीब 21 अंगुल पाया गया। बरामद देशी कट्टा के संबंध में कोई भी व्यक्ति बैध। कागजात प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित नहीं हुआ, जिसके बाद बरामद देशी कट्टा को दोनों स्वतंत्र साक्षियों के समक्ष विधिवत् जप्ती सूची बनाकर जप्त किया गया तथा घटनास्थल पर ही सीलबंद किया गया। जप्ती सूची सही–सही लिखा पाकर दोनों स्वतंत्र साक्षियों द्वारा अपने–अपने स्वेच्छा से जप्ती सूची पर अपना–अपना हस्ताक्षर बना दिया। तदोपरांत कांड के अनुसंधान एवं जप्ती सूची के अनुसार जप्त देशी कट्टा के साथ पुलिस वाहन से वापस थाना आया। सूचक के फर्द बयान के आधार पर नामजद अभियुक्त के विरूद्व मुरलीगंज थाना कांड संख्या– 27/2026 अन्तर्गत धारा 25(1–बी)ए, 26, 35 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज की गयी ।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता श्री अवध किशोर यादव, के द्वारा यह अभिवाचित किया गया कि आवेदक की ओर से अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन श्रीमान् के न्यायालय के समक्ष या माननीय उच्च न्यायालय, पटना के समक्ष दाखिल नहीं किया गया है न खारिज हुआ है न कहीं लंबित ही है। आवेदक पुर्णतः निर्दोष है उसने कोई अपराध नही किया है तथा ग्रामीण राजनिति के कारण झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी का कोई अपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक के विरूद्ध कोई विशिष्ट आरोप नही है। आवेदक अच्छे परिवार के सदस्य है उसके फरार होने की संभावना नहीं है। आवेदक अभियुक्त न्यायालय को संतोषप्रद एवं पर्याप्त राशि का बंध–पत्र एवं प्रतिभू दाखिल करने के लिए तैयार है तथा न्यायालय द्वारा अधिरोपित किए जाने वाले सभी शर्तो को मानने के लिए तैयार है। अतः आवेदक अभियुक्त को अग्रिम जमानत की सुविधा दी जाय।

विद्वान लोक अभियोजक श्री पुरूषोत्तम यादव द्वारा जमानत आवेदन पर घोर आपत्ति किया गया।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के उपरांत मेरे द्वारा प्राथमिकी, फर्द बयान मुल अभिलेख एवं कांड़ दैनिकी का अवलोकन किया। आवेदक प्राथमिकी का नामजद अभियुक्त हैं। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि It is alleged that on 16.01.2026 SI Imnaz Khan was investigating Murliganj P.S. Case 25/2026 against two named accused. Informant reached place of occurrence which is the house of accused Vikram Kumar and Ashish Kumar. In course of investigation informant came to know that both accused persons are trigger happy and used to keep country made arms. At 14:00 hours on dated 16.01.26 the house of accused Vikram Kumar was raided in presence of independent witnesses Ashok Yadav and Kanhaiya Kumar where from inside black blue bag, a country made pistol was recovered. Para 44 of the case diary stated one criminal antecedent against co-accused Ashish Kumar.

न्यायालय :– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम सह विशेष न्यायाधीश,
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण अधिनियम) मधेपुरा।

10-06-2026
लगातार.....

Having considered the nature of offence and recovery of arms, I do not think that this case is fit for anticipatory bail. However petitioner is directed to surrender before the court below within 15 days from the receipt of this order and pray for regular bail. The court below is directed not to prejudice from this order while deciding the regular bail on its own merit.

Dictated

(Sanjeev Kumar-II)
District & Additional Sessions Judge-I
Madhepura